भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 654
09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनीमिया के मामले

654. श्री कमलेश पासवान
श्रीमती मेनका संजय गांधी

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बच्चों और महिलाओं में एनीमिया के बढ़ते मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैंउठाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय पोषण / सर्वेक्षण द्वारा नोटकिए गए किशोरावस्था के एनीमिया की समस्या का समाधान करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं के लिए साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण के (डब्ल्यूआईएफएस) वर्तमान लक्ष्यों की तुलना में लक्षित कवरेज को बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय एनीमिया जागरूकता दिवस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में किशोरों के लिए स्वास्थ्य क्लीनिकों और परामर्शदाताओं की संख्या का राज्य-संघ राज्यक्षेत्र/ वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5, 2019-21) के अनुसार, देश में 6-59 महीने के बच्चों में एनीमिया की व्याप्तता 67.1 प्रतिशत है और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता 57 प्रतिशत है।

(ख) वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों में मौजूदा जीवनशैली में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति शुरू की। इस रणनीति का उद्देश्य सुदृढ़ संस्थागत तंत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किए गए नवीन उपायों के माध्यम से 6-59 माह के बच्चों, 5-9 वर्ष के बच्चों, 10-19 वर्ष के युवाओं, प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कवर करना है। एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

जैसा कि राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में उल्लेख है, एएमबी कार्यनीति किशोरावस्था में एनीमिया की समस्या का भी समाधान करती है।

(ग) स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट (डब्ल्यूआईएफएस) के कवरेज के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची में राष्ट्रीय एनीमिया जागरूकता दिवस को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सितंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 7714 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक और 1870 किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों और किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

सरकार द्वारा एनीमिया को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नवत है:

i. सभी छह लक्षित आयु समूहों में प्रोफिलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड संपूरक।
ii. वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) अभियान के लिए: (क) आयरन फॉलिक एसिड संपूरण तथा कृमिनाशी (डिवार्मिंग) के अनुपालन में सुधार करना; (ख) शिशु तथा बाल-आहार व्यवहारों में उपयुक्त वृद्धि करना; (ग) स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुराक विविधता/मात्रा/बारंबारता और/अथवा पौष्टिकीकृत भोजन के माध्यम से आयरन से भरपूर भोजन की खुराक में वृद्धि को प्रोत्साहित करना; और (घ) स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्रसव के बाद विलंबित (3 मिनट से) कॉर्ड क्लैपिंग को सुनिश्चित करना।
iii. गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाली किशोरियों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, डिजिटल तरीकों और परिचर्या उपचार के बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण तथा उपचार करना।
iv. मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए, स्थानिक पाकेट्स में एनीमिया के गैर-पोषक कारणों का समाधान करना।
v. उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) में गंभीर एनिमिया वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एएनएम को प्रोत्साहन प्रदान करना।
vi. IV आयरन सुक्रोज देकर/रक्ताधान द्वारा गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया का प्रबंधन किया जाता है।
vii. सामुदायिक लामबंदी गतिविधियों और आईईसी और बीसीसी गतिविधियों के माध्यम से आशा द्वारा जागरूकता।
viii. कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अन्य संबंधित विभागों और मंत्रालयों के साथ अभिसरण और समन्वय।
ix. स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के क्षमता निर्माण के लिए एम्स, दिल्ली में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एण्ड एडवांस्ड रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल (एनसीईएआर-ए)
x. एनीमिया प्रबंधन में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए एएमबी प्रशिक्षण टूलकिट का विकास और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए एएमबी ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (डब्ल्यूआईएफएस) कार्यक्रम में आयरन और फोलिक एसिड रक्त कमी की रोकथाम के लिए हेल्मिंथिक नियंत्रण के लिए द्विवार्षिक एल्बेंडाजोल गोलियों के साथ-साथ स्कूल के किशोर लड़कों और लड़कियों और स्कूल से बाहर की किशोरियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए टैबलेट का प्रावधान शामिल है। यह कार्यक्रम सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, नगरपालिका स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देश भर में कार्यान्वित किया गया है। मध्यम/गंभीर एनीमिया के लिए लक्षित किशोर आबादी की जांच और इन मामलों को उचित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए रेफर करना; पोषण संबंधी एनीमिया की रोकथाम के लिए सूचना और परामर्श भी कार्यक्रम में शामिल हैं। इस कार्यक्रम को संयुक्त कार्यक्रम योजना, क्षमता निर्माण और संचार गतिविधियों के साथ प्रमुख हितधारक मंत्रालयों- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

अनुलग्नक-II

दिनांक 30 सितंबर, 2022 के अनुसार किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों की संख्या और प्रतिबद्ध किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए किशोर-अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों की संख्या	प्रतिबद्ध किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	0
2	आंध्र प्रदेश	1404	31
3	अरुणाचल प्रदेश	31	8
4	असम	54	63
5	बिहार	203	0
6	चंडीगढ़	20	0
7	छत्तीसगढ	305	0
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	20	4
9	दिल्ली	31	0
10	गोवा	33	25
11	गुजरात	727	57
12	हरियाणा	208	66
13	हिमाचल प्रदेश	99	18
14	जम्मू और कश्मीर	45	73
15	झारखंड	207	27
16	कर्नाटक	517	204
17	केरल	90	30
18	लद्दाख	4	7
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	102	102
21	महाराष्ट्र	837	132
22	मणिपुर	113	15
23	मेघालय	122	21
24	मिजोरम	50	6
25	नगालैंड	36	6
26	ओडिशा	236	0
27	पुदुच्चेरी	54	0
28	पंजाब	219	0
29	राजस्थान	330	70
30	सिक्किम	27	4
31	तमिलनाडु	442	0
32	तेलंगाना	150	16
33	त्रिपुरा	41	16
34	उत्तर प्रदेश	344	78
35	उत्तराखंड	81	328
36	पश्चिम बंगाल	505	463

******